DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 26 जुलाई, 2022 ----------DATED----------

साफ पानी के लिए तरसे लोग

जसोला : दिल्ली जल बोर्ड दे रहा प्रशासनिक अड़चनों की दुहाई

■ राम त्रिपाठी, जसोला

केंद्र और राज्य सरकार की सिविक एजेंसियों की प्रशासनिक अड़चनों का खामियाजा जसोला के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2012 में बसी इस कॉलोनी में शुरू से ही पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। पीने के पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी पहले डीडीए की थी। लेकिन, 2019 से दिल्ली जल बोर्ड को कॉलोनी ट्रांसफर हो गई है।

यहां के निवासियों का कहना है कि प्राइवेट टैंकरों से मिलने वाला पानी पूरी तरह से फिल्टर नहीं होता है। पॉकेट 11, 12, 10बी और 9सी में लगे बोरवेल के कच्चे पानी की भी सप्लाई होती है। हर पॉकेट में औसतन चार बोरवेल मोटर पंप लगे हुए हैं। जल बोर्ड की जर्जर हो गई पाइपलाइन शुरू से बिछी हुई है, लेकिन शुद्ध पानी की सप्लाई उसमें से कभी नहीं हुई है। लोगों ने बताया कि इस मामले की शिकायत करने पर जल बोर्ड के अधिकारी डीडीए से ट्रांसफर की सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने की दलील देते हैं। इस बहाने जल बोर्ड के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं।

दिल्ली जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (ईई) मुकेश राघव ने बताया कि डीडीए से 30-35 करोड़ रुपये लेने हैं। दूसरी ओर, डीडीए के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। ट्रांसफर की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। पॉकेट 10बी आरडब्ल्यूए के प्रेजिडेंट बी. के. पिल्लई ने बताया कि शुद्ध पानी की सप्लाई के लिए यहां के लोगों ने जल बोर्ड को अतिरिक्त राशि भी जमा करा रखी है। बोर्ड के पास तकनीकी स्टाफ की कमी है। पॉकेट के सिक्योरिटी गार्ड इस मामले में हेल्प करते हैं। मुकेश राघव का कहना है कि पीने के पानी की समस्या बनी रहेगी। पानी की कमी चल रही है। पीने का पानी मिलने पर यहां भी सप्लाई किया जाएगा। अभी बोरवेल का पानी मिलाकर सप्लाई हो रहा है।

सूरत-ए-हाल

- कॉलोनी में शुरू से ही पानी की किल्लत बनी हुई है, 2019 में पानी की जिम्मेदारी डीडीए से जल बोर्ड को मिल गई
- जल बोर्ड के अधिकारी डीडीए से ट्रांसफर की सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने की दलील देते हैं

हिन्दुस्तान

रोहिणी सेक्टर 15 में पार्क का उद्घाटन

नई दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-15 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खाली भूखंड को पार्क के रूप में विकसित किया गया है। पार्क के प्रवेश द्वार के समीप जन-सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। विधायक विजेन्द्र गुप्ता सोमवार को इस पार्क का उद्घाटन किया।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2022

एयरपोर्ट के लिए जरूरी नाले के आड़े आ रहे 600 पेड़

गौतम कुमार मिश्रा ● नई दिल्ली

मानसून में वर्षा होने पर आइजीआइ एयरपोर्ट जलभराव की चपेट में न आए, इसके लिए डीडीए द्वारा जलनिकासी के लिए बनाई गई परियोजना के आड़े करीब 600 पेड़ आ रहे हैं। इन पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाना है। इसके लिए डीडीए ने वन विभाग से अनुमति मांगी है। जब तक अनुमति नहीं मिलती और पेड़ ट्रांसप्लांट नहीं कर दिए जाते, तब तक कार्य शुरू नहीं होगा। अनुमति कब मिलेगी इस संबंध में कोई बताने के लिए तैयार नहीं है।

यह है परियोजना: रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के तकनीकी सहयोग से डीडीए ने आइजीआइ को जलभराव से निजात दिलाने के लिए करीब तीन किलोमीटर लंबे नाले के निर्माण की परियोजना तैयार की है। परियोजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। परियोजना के तहत आइजीआइ व द्वारका स्थित भारत वंदना पार्क को एक नाले से जोड़ा जाएगा। नाले को दो मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा बनाया जाना है। वर्षा के दौरान एयरपोर्ट परिसर में जमा पानी को इस नाले के माध्यम से भारत वंदना पार्क स्थित जलाशय में डाला जाएगा। इससे भारत वंदना पार्क की पानी संबंधी जरूरतें पूरी होंगी। नाले के माध्यम से भारत वंदना पार्क के जलाशय में बारिश के दौरान एक करोड़ लीटर पानी का संचय किया जा सकेगा।

<< इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ● जागरण आर्काइव

- आइजीआइ एयरपोर्ट पर नहीं हो जलभराव, इसके लिए बनना है तीन किलोमीटर लंबा नाला
- टर्मिनल-3 से भारत वंदना पार्क के बीच बनने वाले नाले पर 100 करोड़ की आएगी लागत

लंबे समय से अटकी है परियोजना: डीडीए अभियंताओं का कहना है कि इस परियोजना को कोरोना महामारी से पहले तैयार किया गया था। अभी तक तो इसे पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान परियोजना को टाल दिया गया था। बाद में बजट आड़े आ गया। हालांकि, वन विभाग से मंजूरी लेने की प्रक्रिया पहले ही पूरी क्यों नहीं की गई, इस सवाल पर अधिकारी ने चुप्पी साध ली।

अभी ऐसी होती है जलनिकासी: जलभराव की स्थिति में डायल बेबस हो जाता है। अस्थायी समाधान के तहत डायल जलनिकासी के लिए अभी पंप की व्यवस्था पर आश्रित है। जलभराव होने पर पंप के माध्यम से पानी को नालों में बहाया जाता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI * TUESDAY, JULY 26, 2022 ----------DATED----------

Vikas Minar in firefight · to regain safety licence

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) has started the process of revamping the firefighting system at Vikas Minar. Earlier this month, Delhi Fire Service (DFS) had rejected the renewal of the fire safety certificate of the 50-year-old high-rise building citing a slew of shortcomings.

DDA would install 1,645 metres of mild steel pipes across the 23-storey structure as part of the revamp, apart from replacing fittings and accessories that are a part of the firefighting system. It would also install 650 new sprinklers, particularly on the upper floors.

In a letter written to DDA's commissioner-cum-secretary earlier this month, DFS director Atul Garg mentioned that the request for renewal of fire safety certificate for Vikas Minar was rejected in view of a large number of shortcomings found during an inspection on June 23.

The inspection team found that electrical shafts and openings were not sealed horizontally and vertically, fire detectors were non-functional on some floors, and sprinklers were not covering the entire office area on the upper floors. The team discovered that the manually operated electronic fire alarm system was non-functional too.

The other shortcomings pointed out by DFS officers included furniture and other items encroaching on the staircase and elevator lobby, fire pumps being not in auto-start mode, and the approach to the refuge area was not allowed through the area occupied by offices.

DFS had requested DDA to rectify the shortcomings at the earliest as the occupancy of the building and its premises, in the absence of requisite fire and life safety arrangements, would be at the risk and liability of the owners and occupiers.

"Vikas Minar was constructed in 1972. Many changes in advanced fire technologies, bylaws etc have occurred over time. The observations will be acted on priority and DFS will be called again for re-inspection. The fire safety inspection was conducted in response to a DDA requisition on May 17," DDA said in a statement.

An official said, "The building already has the necessary firefighting systems in place, but the DFS team found the sprinklers inadequate because of some partitions dividing the older halls. This resulted in some locations not being covered."

"We are now installing enough sprinklers and restoring the firefighting system completely. We will definitely get the certificate after the next inspection. The furniture encroaching on spaces has been mostly replaced and the rest of almirahs, etc will be removed soon," added the official.

When DDA completed the construction of Vikas Minar in the early 1970s, it became the first building in Delhi to surpass Qutub Minar in height. It houses many important DDA departments, including planning and horticulture.

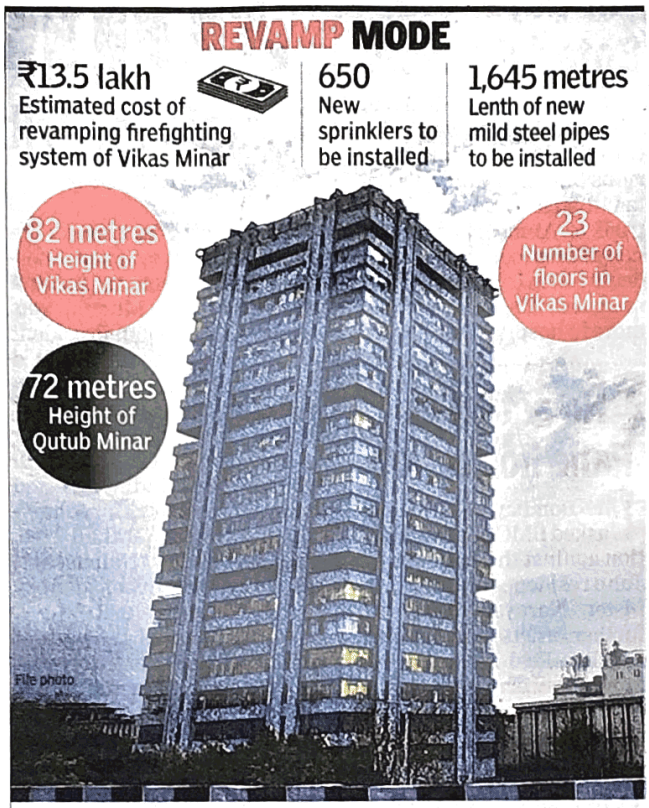

- Built in 1972, Vikas Minar was Delhi's tallest building for a long time
- Delhi Fire Service rejected renewal of fire safety certificate of Vikas Minar, citing a slew of shortcomings
- DDA said new sprinklers are being added as, even though sufficient, some areas were not covered due to wall partitions
- New pipes laid down for better water supply throughout the high-rise building
- Furniture and other items encroaching on the staircase and elevator lobby removed